न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

Rs.20/-

738
31.X.14

R-3896-III/14

कौशल प्रसाद मिश्र तनय स्व0 रामकुमार मिश्र निवासी ग्राम पडरी तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 ---------निगरानीकर्ता

बनाम

1-- मुस0 मानवती पत्नी स्व0 रामायण प्रसाद निवासी ग्राम पडरी तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

1-- बालकृष्ण मिश्र
2-- रामकृष्ण मिश्र } तीनो के पिता स्व0 रामायण प्रसाद मिश्र
3-- श्यामकृष्ण

उपरोक्त सभी निवासी ग्राम पडरी तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

---------गैरनिगरानीकर्तागण

श्री. ... एड द्वारा आज दिनांक... 31.X.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक________
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक________को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

क्रमांक 3623
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 13-11-14 को
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमांक 13/अ-12/2013-14 आदेश दिनांक 05.07.2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1969 ई0

मॉन्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1-- यह कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक 13-अ-12/2013-

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश.पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-3896/III/14 ....... जिला रीवा

कौशल प्रसाद मानवती

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 12-01-16 | यह निगरानी प्र० क्र० 13/अ-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 5-7-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।<br><br>प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री मृत्युंजय प्रसाद द्विवेदी उप०। उनके अपने वही तर्क प्रस्तुत किये गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां दुहराया न जाकर उन पर विचार किया जा रहा है।<br><br>निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया तथा आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रश्नाधीन आदेश का अवलोकन करते हुए संलग्न सीमांकन संबंधी अभिलेखों का परिशीलन किया गया।<br><br>आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक 13-5-14 में सर्वे क्रमांक 1218/1 रकवा 0.190 हे० का नक्शा तरमीम करने का निवेदन किया गया है किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना सीमांकन आवेदन के आवेदित भूमि का सीमांकन किया गया है जिसके संबंध में निगरानीकार द्वारा दिनांक 5-7-14 को आपत्ति आवेदन भी दिया गया है किन्तु आपत्ति की अनदेखी की गई है।<br><br>इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य प्रकट हो रहा है कि आवेदित भूमि का नक्शा तरमीम नहीं है और न ही इस संबंध में सीमांकन प्रकरण में कोई उल्लेख है। जबकि विधि अनुसार बिना नक्शा तरमीम के किया गया सीमांकन भी विधि अनुकूल नहीं कहा जा सकेगा। सीमांकन का कोई आवेदन भी प्रकरण में नहीं पाया गया।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर किया गया सीमांकन आदेश दिनांक 5-7-14 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।<br><br>उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार | |

[कृ. प. उ.

R. 3896/III/14 रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कौशलप्रसाद कार्यवाही तथा आदेश मानवती | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे सम्पूर्ण कार्यवाही का परिशीलन कर अभिलेख से परीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि क्या किया गया सीमांकन आवेदित भूमि का नक्शा तरमीम के अनुसार तथा मौके के कब्जा अनुसार किया गया है। यदि नहीं तो उभय पक्ष को समक्ष में आहूत कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार कार्यवाही करें। इसके साथ ही आवेदकों एवं अनावेदक को भी निर्देशित किया जाता है कि यदि उन्हें कोई आपत्ति हो तो वे नक्शा तरमीम सहित सीमांकन की कार्यवाही पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नये सिरे से करायें। निर्देशानुसार कार्यवाही सम्पन्न होने तक आक्षेपित आदेश दि० 5-7-14 प्रभावहीन रहेगा।<br>उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति तह० को भेजी जावे। प्रकरण रि० हो।<br>12.1.16<br>सदस्य | |